

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 116/2024

स्टेट जरिये श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

-:बनाम:-

पवन कुमार पुत्र गोरधन पाल (विक्रेता)

मैसर्स:-पवन कुमार गोरधन, मैन रोड़ मण्डी गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा,
जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-बाबा हरिराम मंदिर के पास वाली गली, 29 जेआरके, गोलूवाला, तहसील
पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।



-अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी।

-:निर्णय:-

दिनांक :-20.03.2025

प्रार्थी श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 24.06.2023 को समय दोपहर 03.55 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स-पवन कुमार गोरधन, मैन रोड़ मण्डी गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहाँ पवन कुमार पुत्र गोरधन पाल (विक्रेता) निवासी-बाबा हरिराम मंदिर के पास वाली गली, 29 जेआरके, गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते रैक में लगभग 10 पैकेट X 500 एम0एल0 Cow Ghee (Gokul Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 पैकेट X 500 एम0एल0 Cow Ghee (Gokul Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Cow Ghee (Gokul Brand) के खरीद मूल का 400/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 पैकेट X 500 एम0एल0 Cow Ghee (Gokul Brand) पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खान नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-2707 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-2707 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 917 दिनांक 07.07.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु
न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/12563-64 दिनांक 26.07.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Gokul Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Cow Ghee (Gokul Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।




अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त जांच रिपोर्ट का प्रतिरोध करते हैं तथा प्रार्थी को जो नोटिस खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। वह न्यायोचित नहीं है। मान्य नहीं है, क्योंकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड ब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। न्याय निर्णयन आवेदन पत्र तथा समस्त दस्तावेज अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सब स्टैंडर्ड का नहीं बनता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त नमूना गाय का घी गोकुल ब्राण्ड दिनांक 24.06.2023 को लिया गया था तथा नमूने की जांच फूड एनालिस्ट द्वारा दिनांक 07.07.2023 को जारी की गई है जिसमें फूड एनालिस्ट द्वारा नमूने की जांच में Fatty Acid Profile की जांच की है, जबकि नमूना लेने वाली दिनांक 24-06-23 को घी में Fatty Acid Profile की जांच में कानून में वर्णित नहीं थी, जो जवाब के साथ संलग्न अनेक्सर-1 लगायत 2 से सुस्पष्ट है। फूड एनालिस्ट, जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जब घी का नमूना Regulation 2.1.8 FSS (Food Products Standards & Food Additive) Regulation, 2011 के अनुसार निर्धारित मानक स्तर का हो तो केवल Fatty Acid Profile की बिनाह पर भी घी का नमूना सब स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता है। Fatty Acid Profile जांच के जो मानक दिये गये हैं, उसमें कही भी यह नहीं बताया गया है कि Fatty Acid Profile के मानकों के अनुरूप न होने से यह प्रकट होता है कि घी में कोई Foreign Fat उपस्थित मिला हो। इस कारण रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने के कारण नमूना सब-स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता है। घी, गाय तथा भैंस के दूध से बनता है और जब गाय तथा भैंस को पशु आहार जो बेजिटेबल ऑयल की खल से बना हुआ होता है खिलाया जाता है तो उस गाय तथा भैंस के दूध से बनने वाले में से वेजिटेबल ऑयल की उपस्थिति आ जाती है जबकि उस घी में कोई वेजिटेबल ऑयल या फ़ैट नहीं मिला हुआ हो। जैसा कि A.G. Woodman की किताब फूड एनालिस्ट के पेज नंबर 205 में दिया गया है कि "It has also been shown that lard, lard oil or butter fat obtained from animals that have been fed on cottonseed meal will give the halphen test even though no cottonseed oil has been added directly" इस कारण से फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जब भी घी का नमूना Regulation 2.1.8 F.S.S. (Food Products Standards & Food Additive, Regulation, 2011) के अनुसार मानक स्तर का हो तो मात्र Fatty Acid Profile की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती है और घी का नमूना सब-स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता है। इस कारण से फूड एनालिस्ट की जांच रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक ने Form No. B में जांच रिपोर्ट जारी की है, जो फॉर्मट नहीं है और सही फॉर्मट में रिपोर्ट जारी नहीं किये जाने के कारण जांच रिपोर्ट मान्य नहीं की जा सकती है और उक्त परिवाद ऐसी जांच रिपोर्ट पर नहीं चल सकता है और निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा वैद्य तरीके से खाद्य अनुज्ञा पत्र लेकर खाद्य कारोबार का संचालन करता है तथा उच्च गुणवत्ता का माल खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पालना करते हुये निर्माण व विक्रय का कार्य किया जाता है जिससे प्रार्थी को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाब मय उजात पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त उजात पर गौर फरमाते हुये प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Cow Ghee (Gokul Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Cow Ghee (Gokul Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों

का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/- (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़